

ब्रिटिश पूर्व भारतीय पुलिस व्यवस्था

सारांश

भारत में वैदिक कालीन सामाजिक विकास के अन्तर्गत समाज ने अपराध होने के उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने पुलिस व्यवस्था का उल्लेख आधुनिक पुलिस व्यवस्था के समान पृथक रूप से नहीं मिलता है। किन्तु पुलिस प्रणाली के लिए 'रक्षिण' नाम से उल्लेख मिलता है। सामन्तवाद का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विविध राज्यों की राजव्यवस्थाओं एवं पुलिस व्यवस्था पर पड़ा। इन सामंतों द्वारा ही पुलिसिंग का कार्य किया जाता था। मध्य काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नगरों की व्यवस्था के लिए 'कोतवाल' पद का विकास किया गया। मुगल बादशाहों द्वारा दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास करते हुए इसमें मुगल एवं भारतीय पुट देने का प्रयास किया। मुगलकाल में महत्वपूर्ण नगरों में वहाँ के शासन के लिए एक 'कोतवाल' का प्रावधान किया गया। मुगलकाल में प्रत्येक जिले में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने अनेक थाने/चौकियां हुआ करती थी। इस प्रकार मुगल काल में शान्ति एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यतः फौजदार कोतवाल जैसे अधिकारियों द्वारा किया जाता था। भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के उपरान्त भी मुगलों की प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव अंग्रेजों की शासन प्रणाली में विद्यमान रहा।



विकास नौटियाल

सह आचार्य,
इतिहास विभाग,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, भारत



दीप्ति वशिष्ठ

शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

मुख्य शब्द : राजपूताना, अर्थशास्त्र, रक्षिण, पुलिसिंग, कोतवाल, थाने, चौकियां, फौजदार, कोतवाल, पौर, पुन्निस, तारीख-ए-हिन्द, कोतवाल, शिकदार, काजी, थानेदार फर्रे-इजीदी, वजीर, सूबेदार, सूबा, सरकार, फौजदार, सावन्थ निगार, कुफला नवीस।

प्रस्तावना

पुलिस एवं पुलिसिंग व्यवस्था का उल्लेख भारत में प्राचीन काल से मिलता है। किन्तु आधुनिक काल में 'आधुनिक पुलिस व्यवस्था' विकसित करने का दावा अंग्रेजों एवं अनेक विद्वानों द्वारा ब्रिटिश काल में किया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ में ऐतिहासिक रूप से बहुत पहले से ही भारतीय शैली की पुलिस प्रणाली थी। जिस पर मध्यकाल में तुर्क-मुगल शासन का भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। प्राचीन काल से ही भारतीय शासन व्यवस्था में पुलिस व्यवस्था का उल्लेख आता है, किन्तु ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में तुर्क, अफगान, मुगल एवं ब्रिटिश शासन प्रणाली का प्रभाव भारतीय शासन व्यवस्था पर पड़ता रहा।

प्राचीन भारत में पुलिस व्यवस्था

भारत में पुलिस का इतिहास ऐतिहासिक काल से ही प्रारम्भ हुआ देखा जा सकता है। वैदिक कालीन सामाजिक विकास के अन्तर्गत समाज ने अपराध होने के उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलते हैं। भारतीय इतिहास के प्रथम स्मृति मनुस्मृति में 'जानपदकर्म' का उल्लेख किया गया है। जिसके अनुसार राजकीय व्यवस्था के विरुद्ध किया गया कार्य अवैध था।¹ जिस प्रकार वर्तमान में राज्य के ओर से नगर पालिकाओं को अनुदान दिया जाता है उसी प्रकार जनपद को 'अनुग्रह' दान देने के प्रमाण मिलते हैं।² प्राचीन भारत के मौर्यकालीन स्मृति ग्रन्थ या याज्ञवल्क्य के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क ने अपने ग्रन्थ अपरार्क चन्द्रिका में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्र के आचार के विरुद्ध 'पौर' नहीं हो सकता।³ प्राचीन औपनिषदिक चिन्तन में 'पुरुष' को 'आत्मा' कहा गया है एवं प्राणी रूपी पुर में शयन करने वाले को 'पुरुष' कहा गया है।⁴ संस्कृत में 'पुरुष' का अर्थ 'अधिकारी' भी बताया गया है। ईसा पूर्व शताब्दियों में 'पौरुष' शब्द का अपभ्रंश भाषा में रूपान्तरण में 'पुन्निस' में हो गया मौर्य काल में अशोक द्वारा पुरुष एवं 'पुन्निस' दोनों शब्दवाचियों का उल्लेख मिलता है। पुन्निस का कार्य प्रजा से धर्म कार्य करवाना अर्थात् पाप अपराध न होने देना अपने राज्यारोहण के 26 वें वर्ष जो आज्ञा प्रसारित की जिसमें 'पुलिस' स्पष्ट प्रयोग मिलता है।⁵ अभिलेखों में

पुलिस को अधिकार दिया गया है यदि उसका प्रधान अधिकारी राजाज्ञा पालन न करें तो वह अपने प्रधान का आदेश न मानकर राजा के आदेश के अनुसार आचरण करे। अशोक के अभिलेख में 'पुन्निस' नामक अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि वह मृत्युदण्ड प्राप्त अपराधियों को दण्ड मिलने के तीन दिन पूर्व सूचित कर दे ताकि वे अपने ईश्वर को याद कर अपने पाप की क्षमा मांग लें।⁶

प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण विद्वानों पतंजलि एवं पाणिनी दोनों ने राजधानी के लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है कहीं-कहीं इसका आशय ग्राम से भी रहा। पाणिनी के अनुसार जिस स्थान पर लोग एकत्रित हो वह 'निगम' कहलाता है।⁷ बौद्ध जातको में भी 'निगम' शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ नगर पालिका अथवा पंचायत से सम्बन्धित है।⁸ बाल्मिकी रामायण पौर जनपद शब्दावली का उल्लेख मिलता है।⁹

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र एवं पुलिस व्यवस्था

प्राचीन भारत में कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र राजनीतिक प्रशासनिक चिन्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने पुलिस व्यवस्था का उल्लेख आधुनिक पुलिस व्यवस्था के समान पृथक रूप से नहीं मिलता है। किन्तु पुलिस प्रणाली के लिए 'रक्षिण' नाम से उल्लेख मिलता है। 'रक्षिण' आधुनिक 'कॉन्स्टेबल' की भाँति होते थे जो कि आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था बनाने में नगर अधिकारी 'नागरक' की सहायता करते थे।¹⁰ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत 'धर्मस्थीय' (दीवानी मामले) एवं 'कण्टकशोधन' (फौजदारी मामले) दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीश 'धर्मस्थ' या 'व्यावहारिक' कहलाते थे एवं कण्टकशोधन न्यायालयों के न्यायाधीशों की संज्ञा 'प्रदेष्टा' थी।¹¹ धर्मस्थीय न्यायालयों से सम्बन्धित वादों में व्यवहार स्थापना (व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के बीच आपस के व्यवहार द्वारा उत्पन्न वाद) स्त्रीधन कल्प (स्त्री धन से सम्बन्धित वाद), विवाह सम्बन्धी विवाद, उत्तराधिकारी सम्बन्धी विवाद, गृहवास्तुकम (खेत बाग जलाशय पुल आदि से सम्बन्धित विवाद) ऋणदानम् (महाजन एवं कर्जदार से सम्बन्धित विवाद), दासों से सम्बन्धित मामले, श्रेणियों से सम्बन्धित मामले, क्रय विक्रय के मामले, साहसम्, चोरी डाके लूट सम्बन्धित मामले जुए सम्बन्धित मामले आदि सम्मिलित रहे।¹² कण्टकशोधक न्यायालय के अन्तर्गत शिल्पियों एवं कारिगरो की रक्षा व्यापारियों की रक्षा, प्राकृतिक विपत्तियों से निवारण, गैर कानूनी उपायों से आजीविका चलाने वालों से रक्षा, मृतदेह की परीक्षा, कन्याओं के साथ बलात्कार आदि सम्मिलित रहे।¹³

सामन्तवाद एवं पुलिस व्यवस्था

प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तरकाल एवं इसके उपरान्त सामन्तवाद का उत्कर्ष हुआ। सामन्तवाद का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विविध राज्यों की राजव्यवस्थाओं एवं पुलिस व्यवस्था पर पड़ा। इन सामंतों द्वारा ही पुलिसिंग का कार्य किया जाता था। गुप्तों के उपरान्त का कार्य ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से गुप्तोत्तर काल(लगभग 600 से 650 ईस्वी) कहलाता है।

इस काल में हर्ष का साम्राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण रही। अभिलेखों में पुलिस कर्मियों के लिए 'चाटभाट' शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अपराधों के अनुसन्धानों का कार्य इन्हीं अधिकारियों द्वारा किया जाता था। हर्ष के शासन काल में युवान च्वांग नामक चीनी यात्री भारत आया। वाई ली द्वारा सम्पादित उसके ग्रन्थ 'सीयूकी' में हर्षकालीन पुलिस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वह कहता है कि राज कर्मचारी प्रजा को कष्ट नहीं देते थे एवं राज्य में शान्ति थी। उल्लेखनीय है युवान च्वांग अपनी यात्रा के दौरान हर्ष के साम्राज्य में तीन बार लूटा गया। इसलिए युवान च्वांग के वृत्तान्त में हर्ष के प्रति कुछ चाटुकारिता भी प्रतीत होती है। किन्तु यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इतिहास के किसी भी सामन्ती युग में सामन्तों के विद्रोह होना, उनके द्वारा कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ा करना इतिहास की सामान्य प्रवृत्तियाँ रही हैं।

मध्यकालीन भारतीय पुलिस : हिंदू एवं इस्लामी अन्तःक्रिया

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के ऐतिहासिक काल विभाजन की दृष्टि से 1200 ई. से अठारवीं शताब्दी तक के मध्य काल 'मध्य काल' कहलाता है। सम्पूर्ण मध्य काल को ऐतिहासिक विकास के क्रम में उत्तरोत्तर रूप से 'तुर्क-अफगान काल' (सल्तनत काल) एवं 'मुगल काल' में विभाजित किया जाता है। पूर्व मध्यकाल तक भारत में राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से सामन्तवादी प्रवृत्तियाँ विद्यमान रहीं। इन प्रवृत्तियों में बहुराज्यीय व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का कमजोर हो जाना, विकेन्द्रीकरण, सामन्तों के हाथों में पुलिस एवं प्रशासनिक शक्तियाँ निहित हो जाना आदि महत्वपूर्ण रहीं। अलबरूनी कृत 'तारीख-ए-हिन्द' में इस काल के प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विशद उल्लेख मिलता है। 11वीं 12वीं शताब्दी में तुर्कों के उत्तर भारत के अनेक श्रेत्रों में श्रृंखलाबद्ध रूप से आक्रमण हुए जिन्होंने परम्परागत भारतीय राजनीतिक-प्रशासनिक ढाँचे को प्रभावित किया। इन आक्रमणों के साथ ही भारतीय राजव्यवस्था के अन्तर्गत विकसित जनपद, पुर, ग्राम-नगर-पंचायत जैसी संस्थाएँ भी क्षीण होने लगी। इस प्रक्रिया में परम्परागत पुलिस संगठन भी क्षीण होने लगा क्योंकि मुहम्मद गोरी एवं उसके उत्तराधिकारियों ने दिल्ली एवं उसके आस पास के क्षेत्रों में जो सल्तनत स्थापित की उस राज्य की प्रकृति सैन्य प्रकार की रही। इस कारण सभी सेवाएँ सैन्य अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाने लगी।

सुलतान इल्तुतमिश (1212-1236) द्वारा साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक नियन्त्रण एवं राजस्व संकलन के लिए सुसंगठित एवं सुपरिभाषित रूप से 'इक्ता' व्यवस्था प्रारम्भ की। 'इक्ता' (हस्तान्तरित भूमि क्षेत्र) के प्रशासक सैन्य अधिकारी ही होते थे वे इक्तेदार कहलाते थे, इन्हें पुलिस अधिकारी भी प्राप्त थे। सुलतान बलबन(1266-1286) द्वारा दिल्ली सल्तनत में 'आरिज ए मुमालिक' नामक सैनिक अधिकारी के नेतृत्व में 'दीवान ए अर्ज' नामक सैन्य विभाग स्थापित किया गया। इस प्रक्रिया में पुलिस का कार्य भी सेना के जिम्मे ही रखा गया। बलबन के उपरान्त कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

एक बार पुनः बिगड़ने लगी चारों ओर अराजकता लूटमार एवं उपद्रव होने लगे। अलाउद्दीन खिलजी (1296–1316) द्वारा एक बार पुनः सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। लगभग इसी काल में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा नगरों की व्यवस्था के लिए 'कोतवाल' पद का विकास किया गया। यह इस काल का अत्यन्त महत्वपूर्ण ओहदा होता था। प्रशासनिक दृष्टि से इस काल के कोतवाल को वर्तमान जिला अधिकारी के अनेक अधिकार एवं पुलिस अधीक्षक समस्त अधिकार सम्मिलित रूप से प्राप्त थे। इसी काल में मुहम्मद तुगलक द्वारा पुलिस थाना / चौकी नामक पुलिस की संस्थाओं का विकास किया गया।

कोतवाल : सल्तनतकालीन

सल्तनतकाल में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा सैन्य प्रकृति की राज व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का विकास किया गया। इस काल में पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत कोतवाल, शिकदार, काजी, थानेदार आदि पदों का संस्थागत रूप से विकास किया गया। सल्तनत काल में बड़े कस्बों एवं शहरों में काजी तैनात किये जाते थे, जिनका सम्बंध न्याय व्यवस्था से था। 'कोतवाल' शब्द की उत्पत्ति को लेकर दो मत हैं—पहले मत के अनुसार प्राचीन भारत में दुर्गों के अधिकारी 'कोटपाल' से कोतवाल शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस मत के अनुसार कोटपाल दो शब्दों 'कोट' तथा 'पाल' से मिलकर बना है। 'कोट' शब्द से तात्पर्य शहर अथवा किले से है जबकि 'पाल' शब्द से आशय 'रक्षक' से है अर्थात् 'कोटपाल' किले अथवा नगर का रक्षक अथवा अधिकारी था। दूसरे मत के अनुसार कोतवाल शब्द की उत्पत्ति सल्तनत काल में तुर्कों के आगमन के साथ ही हुई कालान्तर में राजधानी, प्रान्तों की राजधानी एवं बड़े नगरों के प्रमुख नगरों को 'कोटपाल' कहा जाने लगा। धीरे-धीरे यह पद उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत दोनों में प्रचलित हो गया। थेवेनो गोलकुण्डा के कोतवाल को नगर का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी एवं न्यायाधीश कहता है।¹⁴

दिल्ली सल्तनत में नगर का कोतवाल काजी के मातहत ही होता था। 1192 वें में कृतुबुद्दीन ऐबक ने मीरात (मेरठ) के दुर्ग पर 'कोतवाल' की नियुक्ति की थी। किन्तु व्यवस्थित रूप से 14 वीं शताब्दी में कोतवाल शब्द प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्यतः प्रचलन में आया। शहर पुलिस के प्रमुख होने के नाते कोतवाल के कार्य थे—नागरिकों के जानमाल की रक्षा करना, चोरों और अपराधियों को गिरफ्तार करना, चौकीदारों से रोजाना रिपोर्ट लेना, कीमतों माप-ताल के यन्त्रों व वेष्ट्याओ पर नियन्त्रण रखना, अपराधियों को काजी की अदालत में न्याय के लिये पेश करना तथा काजी द्वारा दी गई सजा को क्रियान्वित कराना भी कोतवाल का ही काम था।¹⁵ दिल्ली सल्तनत में 'कोतवाल' मुख्य रूप से पुलिस अधिकारी था जिसका कार्य नगर एवं निकटवर्ती भागों की सुरक्षा, रात को नगर की गश्त लगाना, मार्गों की सुरक्षा, नागरिकों एवं बाहर से आने वालों की सूची रखना आदि उसके प्रमुख कार्य थे।¹⁶ अलाउद्दीन खिलजी के समय में जियाउद्दीन बरनी के अनुसार उसके स्वयं के चाचा अलाउलमुल्क का दिल्ली का कोतवाल होने का उल्लेख है जो विविध मुद्दों पर सुल्तान को प्रभावित करता था।

मुगलकालीन पुलिस व्यवस्था

एतिहासिक विकास के क्रम में भारतीय इतिहास में 1526 से 18 वीं शताब्दी तक का काल मुगलकाल नाम से अभिहित किया जाता है। मुगलों द्वारा सल्तनतकालीन राजव्यवस्था के विकास क्रम में एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था प्रारम्भ की गई। यद्यपि शासन की प्रकृति की दृष्टि से मुगलकालीन शासन व्यवस्था सल्तनत काल के समान सैनिक प्रकृति की ही रही। किन्तु मुगलों द्वारा राजत्व का दैवीय सिद्धान्त अपनाया गया। इसी आधार मुगल शासकों ने स्वयं को सुल्तान के स्थान पर पादशाह कहा। अबुल फजल के अनुसार पादशाह दो शब्दों 'पाद' एवं 'शाह' से बना है। 'पाद' से तात्पर्य से है स्थायित्व एवं शाह का अभिप्राय अधिपति से है।¹⁷ अकबर द्वारा राज्य के दैवीय सिद्धान्त के अन्तर्गत 1574 में बंगाल के शासक दाउद के विद्रोह का दमन करने के उपरान्त स्वयं को ईश्वर की प्रतिष्ठाया घोषित किया गया।¹⁸ अबुल फजल के अनुसार राजसत्ता ईश्वर से फूटने वाला तेज एवं विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण है जिसे 'फर्र-इजीदी' (ईश्वर का दैवीय प्रकाश) कहा गया है।¹⁹ दिल्ली के सुल्तानों की तुलना में मुगल सम्राटों ने खलीफा से किसी प्रकार का मान्यता पत्र प्राप्त नहीं किया।

मुगल बादशाहों द्वारा दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास करते हुए इसमें मुगल एवं भारतीय पुट देने का प्रयास किया। मुगल सम्राट द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए स्तरीकृत एवं पिरामिडीय व्यवस्था का विकास किया गया। जिसमें सम्राट के उपरान्त सर्वोच्च पद पर वजीर (प्रधानमन्त्री) होता था। विधिवेत्ता अल फखरी के अनुसार वजीर जनता एवं शासक के बीच की कड़ी होता था। इस क्रम में मुगलों द्वारा प्रान्तों (सूबा) में सूबेदार, जिलों (सरकार) में 'फौजदार' एवं परगनों में 'शिकदार' पद का विकास किया गया। सामान्य रूप से राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था तथा पुलिस व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त कार्य इन्हीं अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाता था।

मुगलकाल में साम्राज्य का विभाजन सूबों में किया गया था। सूबेदार के लिए सरकारी तौर पर 'सिपहसालार', 'नाजिम' भी कहा जाता था। नाजिम का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्थापक। सूबेदार अथवा नाजिम की नियुक्ति मुगल सम्राट के शाही फरमान के द्वारा की जाती थी। सूबेदार की पद की कोई निश्चित अवधि नहीं थी अपितु यह बहुत कुछ प्रशासनिक आवश्यकता एवं सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। पीटरमुंडी लिखता है कि स्थानीय सूबेदार एक स्थान से दुसरे स्थान को सामान्यतः तीन चार वर्ष में एक बार स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं।²⁰ सूबेदार की प्रमुख जिम्मेदारी शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं न्याय करने की थी वह प्रान्त के प्रमुख प्रशासक की हैसियत से कार्य करता था। प्रशासक के साथ-साथ वह एक सैनिक अधिकारी भी होता था। वह प्रान्त में मुगल सम्राट का प्रतिनिधि होता था।

सूबेदार प्रान्त में समस्त प्रकार सैन्य प्रबन्धन करने के लिए भी उत्तरदायी होता था एवं सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति करता था। वह अपने क्षेत्र में जमींदारों से कर वसूली करता था इसके अतिरिक्त

सूबेदार के महत्वपूर्ण कार्यों में न्याय प्रशासन का कार्य भी था। न्यायाधीश के कार्यों में उसे यह निर्देश दिया जाता था कि वह मुकदमों का यथाशीघ्र निर्णय करे एवं विलम्बकारी तरीकों से जनता को परेशान न करें। न्यायाधीश के रूप में सूबेदार के प्रारम्भिक एवं अपीलीय दोनों अधिकार थे। साधारणतः प्रारम्भिक मुकदमों में वह अकेला ही निर्णय कर सकता था किन्तु उसे मृत्युदण्ड देने का अधिकार नहीं था ऐसे मुकदमों में वह केन्द्रीय न्यायालयों को भेजता था।

नगर के पुलिस अधिकारी के रूप में 'कोतवाल' पद का विकास सल्तनतकाल में ही हो गया था मुगलों द्वारा सभी महत्वपूर्ण नगरों में वहाँ के शासन के लिए एक 'कोतवाल' का प्रावधान किया गया। वह नगर पुलिस का अध्यक्ष, नगर पालिका का प्रशासक, फौजदारी मुकदमों का न्यायाधीश होता था।²¹ अकबर काल में 'कोतवाल' के पद एवं कार्यों का वर्णन आईन-ए-अकबरी में मिलता है।²² नगर की सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं शांति के अतिरिक्त राजाजाओं का पालन करवाना उसका प्रमुख कार्य था। वह नगर में आने जाने वालों की सूची रखता एवं ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था करता था। औरंगजेब के काल में आये इतालवी यात्री मनुची ने लिखा है कि कोतवाल जासूसी के लिए मेहतरों का उपयोग करते थे। जो दिन में दो बार सफाई के लिए घरों में जाते थे।²³ कोतवाल को निर्देश थे कि वह कसाई, शिकारियों, शव ढोने वाले एवं मेहतरों को अलग-अलग भागों में बसायें एवं ऐसे संघदिल कुप्रवृत्ति के लोगो के सम्पर्क से प्रजा से बचायें।²⁴ इसी प्रकार थेवैनो अपने अपने यात्रावर्तान्त में लिखता है कि 'कोतवाल' नगर में घोड़े पर घूमता था। उसके साथ डंडा कोडा (बैटन) तथा अन्य हथियार लिये कई पैदल अधिकारी चलते थे एवं उन्हें बजाते थे, तीसरा एक ताँबे का भोंपू लिये रहता था। वह तीन बार तुरही बजाता और खबरदार कहकर चिल्लाता था उसकी आवाज सुनकर निकट की गलियों के रक्षक भी उसी तरह की आवाज करते थे।²⁵ मुगल काल में चोरी, डकैती एवं राहजनी प्रमुख अपराध हुआ करते थे। ये अपराध प्रायः ऐसे लोगो द्वारा किये जाते थे जिन्होंने ने इसे अपना पेशा बना लिया था। ऐसे लोगो के साथ कोतवाल एवं प्रशासन द्वारा कठोरता का व्यवहार किया जाता था।

मुगल काल में 'कोतवाल' का अन्य प्रमुख कार्य दण्डाधिकारी के रूप में कार्य करना भी था। कोतवाल की कचहरी के लिए 'चबूतरा' कहा जाता था एतालवी यात्री मनुची कोतवाल को सम्पूर्ण नगर का शासन करने वाला प्रमुख दण्डाधिकारी बताता है।²⁶ नगरीय क्षेत्र में पकड़ा जाने वाला अपराधी कोतवाल के सम्मुख पेश किया जाता था। वह प्रारम्भिक जाँच पड़ताल करने के पश्चात इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करता था। ट्रेवरनियर के अनुसार 'कोतवाल' का कार्यालय एक प्रकार की चौकी होता था जहाँ दण्डाधिकारी उस स्थान के विवादों पर न्याय करते थे। थेवैनो कहता है कि फौजदारी के मुकदमों 'कोतवाल' के न्यायाधीन होते थे। इस प्रकार मुगल काल में 'कोतवाल' को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। सामान्य रूप से ये अधिकार कतिपय परिवर्तन के साथ 19 वीं सताब्दी तक चलते रहे।²⁷

मुगलकाल में आधुनिक काल के समान बंदीग्रहों में दण्डित व्यक्ति को रखने का समुचित प्रबन्ध नहीं था। मुकदमों के दौरान कोतवाल द्वारा कैदियों को रखे जाने का साधारणतः जहाँ प्रबन्ध किया जाता था उसे 'चबूतरा ए कोतवाली' कहा जाता था। जिस दिन मुकदमा होता था, उस दिन 'कोतवाल' कैदियों को काजी की अदालत में भेजने के लिए उत्तरदायी होता था। कैदी को जमानत पर भी छोड़ा जा सकता था कैद की अवधि का भी कोई निश्चित नियम नहीं था। यह बहुत कुछ अदालत एवं अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता था। प्रान्तों में प्रायः जेल संगठन नगण्य सा होता था। प्रायः कोतवाल थानेदार एवं अन्य अधिकारी कैदियों को रखने के लिए उत्तरदायी होते थे। कैदियों के भोजन एवं रहने का प्रबन्ध शासन द्वारा किया जाता था।²⁸

मुगलकालीन प्रान्तों (सूबे) को सरकारों (जिले) में विभाजित किया जाता था एवं सरकार 'महाल' या 'परगनों' में विभाजित थे। कई गाँवों का मिलाकर 'परगना' बनाया जाता था। सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी 'फौजदार' होता था। जिसकी नियुक्ति शाही फरमान द्वारा की जाती थी एवं सरकार में सूबेदार का प्रतिनिधि होता था व सूबेदार के निर्देशों में कार्य करता था किन्तु उसके पत्र सम्राट के सम्मुख उपस्थित किये जाते एवं पढ़े जाते थे। फौजदार के कार्य की प्रकृति सैन्य प्रकार की थी वह अपने क्षेत्र में शक्ति एवं सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी था।²⁹

फौजदार सरकार में प्रशासन पुलिस तथा सैनिकशक्ति का प्रतिनिधि था। वह अपने क्षेत्र में शक्ति तथा सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। शासन एवं सुव्यवस्था स्थापना हेतु उसे आज्ञा दी गई थी कि बागियों एवं विद्रोही सरदारों को दण्डित करने के लिए उनके दुर्ग नष्ट कर दो सड़कों की सुरक्षा रखे। करदाता की रक्षा करे लोहारों को बन्दूके मत बनाने दे। जिन थानेदारों को तुम अपने अधीन नियुक्त करो, उनसे कहो कि वे अपने अपने क्षेत्रों का पूरा-पूरा अधिकार लें, लोगों को उनकी जायज सम्पत्ति से वंचित न करें और 'वर्जित करा' (अबवाबों) को उनसे वसूल न करें।³⁰ जिले के देहाती इलाकों में सुरक्षा सुव्यवस्था, चोरों, डकैतों तथा अन्य समाज-विरोधी एवं उपद्रवी लोगों का दमन, मार्ग की सुरक्षा, यात्रियों, व्यापारियों की रक्षा इत्यादि का उत्तरदायित्व उसके ऊपर था। इस कार्य के लिए वह योग्य सहायक अधिकारियों को महत्वपूर्ण देहाती इलाकों में नियुक्त करता एवं उनके अधीन आवश्यकतानुसार सैनिक निर्धारित कर देता था।³¹ इस प्रकार पुलिस सम्बन्धित कार्यों में सड़कों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की रक्षा करना, जघन्य अपराधों एवं छोटे बड़े विद्रोहों/असन्तोष की रोकथाम करना, लुटेरों एवं राहजनों का पीछा कर जनता को सुरक्षा प्रदान करना, अवैध अथियारों के निर्माण को रोकना, पीड़ितों को न्याय देना शान्ति भंग करने वालों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय भेजना, राजस्व देने वालों की रक्षा करना आदि रहे।

मुगलकाल में प्रत्येक जिले में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने अनेक थाने/चोकियां हुआ करती थी। इन थानों का प्रमुख अधिकारी 'थानेदार' कहलाता था।

मुगलकाल में सीमान्त क्षेत्रों में कबायली एवं अन्य उपद्रव शासन के लिए चुनौति हुआ करते थे। इस कारण इन भू भागों के शासन के लिए सीमान्त सैनिक चौकियां स्थापित की गईं जो 'थाना' कहलाती थी।³² किन्तु बाद में थाना शब्दावली प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गई। थाने का थानेदार अपने समस्त कार्यों के लिए जिले के फौजदार के प्रति उत्तरदायी था किन्तु थानेदारी की यह व्यवस्था औपचारिक पुलिस प्रबन्धन के अन्तर्गत नहीं थी क्योंकि इसका वेतन मुगल शासन की ओर से नहीं अपितु जमींदारों से वसूल किया जाता था। फौजदार एवं थानेदार की पुलिसकर्मियों के रूप में अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के राजस्व कर्मियों एवं जमींदारों के चौकीदार होते थे वस्तुतः फौजदार का प्रशासनिक क्षेत्र इतना बृहत होता था, कि उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों पुलिस पर नियन्त्रण रख पाना कठिन होता था। मुगल काल में नगरीय क्षेत्रों का पुलिस प्रबन्ध औपचारिक था किन्तु गाँवों की पुलिस प्रकृति अनौपचारिक होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों का पुलिस प्रशासन इन क्षेत्रों के अभिजात्य वर्ग जैसे चौधरी, मुकद्दम आदि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के चौकीदार, सीमापाल, गाँव के अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। जिन्हें वेतन के बदले गाँव से उपज का एक भाग जीविकोपार्जन हेतु प्राप्त होता था।³³

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध लेख में मेरा उद्देश्य पुलिस व्यवस्था के भारतीय परिप्रेक्ष्य को उजागर करते हुए कम्पनी द्वारा औपनिवेशिक ढांचे के अन्तर्गत किस प्रकार पुलिस व्यवस्था का विकास किया गया। इसका विश्लेषण किया गया है।

निष्कर्ष

इस प्रकार मुगल काल में शान्ति एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यतः फौजदार कोतवाल जैसे अधिकारियों द्वारा किया जाता था। मुगल काल में खूफिया रिपोर्ट लिखे जाने के लिए भी एक बृहत व्यवस्था बनाई गई थी। खूफिया रिपोर्ट बनाने के लिए 'सावन्थ निगार' 'कुफला नवीस' जैसे अधिकारी इस कार्य में शासन का सहयोग करते थे। इसके अतिरिक्त गाँव के मुखिया, परगने के शिकदार तथा आमिल आवश्यकता अनुसार पुलिस सम्बन्धित कार्यों में फौजदार एवं कोतवाल की सहायता करते थे। मुगलकालीन इस पुलिस व्यवस्था का प्रभाव सभी सूबों में स्पष्ट रूप से पड़ा है। राजपूताना क्षेत्र की राजपूत एवं अन्य रियासतों पर मुगलकालीन प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव रहा। भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के उपरान्त भी मुगलो की प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव अंग्रेजों की शासन प्रणाली में विद्यमान रहा।

अंत टिप्पणियां

1. जाति जानपदान्धर्मान श्रेणी धर्माश्च धर्मवित् (मनुस्मृति 8/41)
2. खारवेल को हाथी गुम्फा अभिलेख
3. पुरु संज्ञे शरीरेस्मिक शयनात् पुरुषो हरिः (शंकर विजय 16वां अध्याय)
4. शेते जीवेन रूपेण पुरुषो ही असौ (भागवत)
5. लजूका पि लंघति पट्टिलिटवे मं पुलिसानि मे छदंनानि। (स्तम्भ लेख दिल्ली शिवालक 4)

6. वर्मा, परिपूर्णानन्द, भारतीय पुलिस, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी पृ. 2-3
7. पाणिनि 3/3/119
8. (सब्बे नेगम जानपदे जातक 1 पृ. 149)
9. पौरजातपदाचार्य वाल्मिकी रामायण 2/15/54
10. सिंह, उमेश कुमार, आई.पी.एस., द इण्डियन पुलिस जर्नल, अप्रैल-जून 2005 पृ. 22
11. प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयों वास्मात्या कण्टकशोधन कुर्यु। कौटिल्य अर्थशास्त्र 4/1
12. (विद्यालंकार, सत्यकेतु, मौर्य साम्राज्य, श्री सरस्वती सदन, पृ. 246)
13. विद्यालंकार, सत्यकेतु, मौर्य साम्राज्य, श्री सरस्वती सदन, पृ. 246
14. मोरलैंड, इण्डिया एट दि डेथ ऑफ अकबर, मैकमिलन, लंदन, 1920, पृ 38
15. अरुण, श्रीराम, आई पी एस सेवानिवृत्त, हमारी पुलिस, सरूप बुक पब्लिशर्स, 2008 पृ 55
16. खुरेशी, आई.ए. एवं ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि सलतनत देहली, मुंशीराम मनोहरलाल, 1971, पृ 173
17. श्रीवास्तव, हरिशंकर, मुगल शासन प्रणाली, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली पृ 26-27
18. अकबरनामा, अंग्रेजी अनुवाद बेवरिज, भाग तीन, पृ 136
19. श्रीवास्तव, हरिशंकर, पूर्वोक्त पृ 26-27
20. पीटरमुंडी, भाग 2, पृ 85 ।
21. श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल 'अकबर दि ग्रेट' भाग 2, शिव लाल अग्रवाल एंड क. प्रा.लि., पृ 128
22. सरकार, मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, पृ 69, शरण स्टडीज इन मेडिकल इंडियन हिस्टरी पृ 104-7
23. मनुची, पूर्वोक्त, भाग 2, पृ 241
24. आईन अकबरी, जैरेट एवं सरकार, भाग 2 पृ 43-45
25. थेवैना, दि इंडियन ट्रेवेल्स आफ थेवैना, पृ 27
26. मनुची, पूर्वोक्त, भाग 2, पृ 292
27. ट्रेवर्नियर ट्रेवेल्स इन इंडिया, पृ 57 थेवैना भाग 3 पृ 19-20 शरण प्राविशियल गवर्नमेंट, पृ 354-55
28. श्रीवास्तव, हरिशंकर, पूर्वोक्त, पृ 262-63
29. आईन-ए-अकबरी जैरेट एवं सरकार, भाग 2 पृ 41-42, कुरेशी, आई. एच. दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि मुगल एम्पायर पृ 231, सरकार 'मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन पृ 64-65
30. सरकार, जदुनाथ, 'मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन', मुगल स्कालर, च्वाइस, 2015, पृ 64-65
31. श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल, एल.एल. अभिजीत, पब्लिकेशन, 'अकबर दि ग्रेट' भाग 2, 2018, पृ 131-32
32. शरण, परमात्मा, 'प्राविशियल गवर्नमेंट', एशिया पब्लिशिंग हाउस, न्यूयार्क, ऑफ द मुगल, 1993, पृ 228-29
33. शरण, पूर्वोक्त, पृ 243-45